भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1992

23 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

गन्ना उत्पादक किसानों के भुगतान में लापरवाही

1992. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान, दर तय करने और खरीद हेतु राज्यों को विधान बनाने हेतु अधिकार दिया गया है;
(ख) क्या विशेषज्ञों ने इसमें गन्ना किसानों के हितों की उपेक्षा की ओर इशारा किया है, जो अपनी उपज का भुगतान न मिलने का सामना कर रहे हैं;
(ग) क्या गन्ना किसानों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दर से भुगतान मिल रहा है है;
(घ) यदि हाँ, तो भुगतान की दरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड) विगत पांच वर्षो के दौरान गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें, नामत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) निर्धारित करती हैं जो उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से अधिक होता है।

(ख): जी नहीं। दिनांक 16.12.2022 की स्थिति के अनुसार, चीनी मौसम 2020-2021 तक के गन्ने की 99% से अधिक देयताओं का निपटान कर दिया गया है। चीनी मौसम 2021-2022 के संबंध में, गन्ने की लगभग 98% देयताओं का निपटान कर दिया गया है।

.....2/-

(ग) और (घ): वर्तमान चीनी मौसम 2022-2023 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 10.25% को मूल रिकवरी दर पर 305 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत 10.25% से अधिक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए 3.05 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया गया है, और 9.5% तक के रिकवरी दर में प्रत्येक 0.1% गिरावट के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 3.05 रुपए प्रति क्विंटल की कमी की गई है। जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, उन किसानों को गन्ने के लिए 282.125 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) एक मानक (बेंचमार्क) कीमत है और कोई भी चीनी कारखाना इससे कम मूल्य पर किसानों से गन्ने की खरीद नहीं कर सकता है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें, नामत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा गन्ने के लिए राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) निर्धारित किया जाता है। अभी तक, केवल एक राज्य नामत: पंजाब ने वर्तमान चीनी मौसम 2022-23 के लिए 380/- रुपए प्रति क्विंटल का राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) घोषित किया है। चीनी मौसम 2021-22 के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) क्रमश: 362/- रुपए प्रति क्विंटल, 350/- रुपए प्रति क्विंटल और 355/- रुपए प्रति क्विंटल थे।

(ड.): पिछले पांच वर्षों के दौरान गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में वृद्धि (हाइक्स) का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में संलग्न है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 23.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1992 के उत्तर के भाग (ड.) में उल्लिखित अनुबंध।

गन्ने के मूल्य में वृद्धि का ब्यौरा अर्थात पिछले पांच वर्षों के दौरान चीनी मौसम 2018-19 से सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी)

(₹ प्रति क्विंटल)

चीनी मौसम	सरकार द्वारा निर्धारित एफआरपी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	मूल रिकवरी दर
2018-19	275.00	20.00	10.00
2019-20	275.00	शून्य	10.00
2020-21	285.00	10.00	10.00
2021-22	290.00	5.00	10.00
2022-23	305.00	15.00	10.25%

*****